मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जून, 1978

संक्षेपिका

विषय :- पदोन्नति के लिए पूर्व सेवा की गणना- कनिष्ठ व्यक्ति की सेवा वरिष्ठ व्यक्ति की सेवा से अधिक होने पर विसंगति को दूर करने के लिए भरती नियम में संशोधन ।

=0=0=0=

आदर्श भरती नियम के नियम 14 में निम्न लिखित प्रावधान है :-

14 - पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :- (1) समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को, इससे संलग्न अनुसूची चार के कालम 2 में उल्लिखित पद/सेवा पर या किसी अन्य पद या पदों पर जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो, स्थानापन्न अथवा मौलिक रूप से - - - - - वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हो ।

कभी कभी ऐसे प्रकरण भी देखने में आए है कि कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा पूरी कर ली गई है, किन्तु उससे वरिष्ठ व्यक्ति ने निर्धारित सेवा पूरी नहीं की है । ऐसी परिस्थिति में उपर्युक्त नियम के अनुसार कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति के लिए विचार में लिया गया और वरिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति के लिए विचार में अनिवार्य सेवा पूरी न होने के कारण, नहीं लिया गया ।

2/ उपर्युक्त प्रकार के मामले में यह विसंगति इस कारण उत्पन्न हो जाती है कि कई व्यक्ति अपनी अनुपयुक्तता के कारण या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण प्रथम अवसर पर स्थाई नहीं हो पाते, और उनसे कनिष्ठ व्यक्ति उनसे पहले ही स्थाई हो जाते है । इस प्रकार बाद में स्थाई हो जाने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(ए)(दो) के अनुसार वे अपनी स्वयम् की अनुपयुक्तता तथा गलती के कारण अपने से कनिष्ठ व्यक्ति से भी कनिष्ठ हो जाते है । ऐसे व्यक्ति को केवल उनकी अधिक सेवा होने के आधार पर उनसे वरिष्ठ व्यक्ति के पहले पदोन्नति के लिए विचार करना किसी भी हालत में उपयुक्त एवं न्यायोचित नहीं माना जा सकता । शासकीय सेवकों की वरिष्ठता निर्धारण

क्रमशः - 2

करने के पीछे यह उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति नियमानुसार वरिष्ठ हो उसे उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पहले ही सेवा संबंधी लाभ, विशेष कर उच्चस्तर के पद पर पदोन्नति अथवा प्रवर श्रेणी में नियुक्ति का लाभ मिले । यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल इस आधार पर पदोन्नति के लिए उससे वरिष्ठ व्यक्ति की उपेक्षा कर विचार में लिया जाता है कि वह पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा की शर्त पूरी कर लेता है, और वरिष्ठ व्यक्ति को सेवा संबंधी शर्त पूरा न करने के कारण पदोन्नति के लिए विचार में नहीं लिया जाता, तो उसकी वरिष्ठता का उसे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा जिस उद्देश्य से शासकीय सेवकों की वरिष्ठता तय की जाती है वह निरर्थक हो जाएगा ।

3/ आपाती सेवा कमीशन एवं अल्प सेवा कमीशन के सेवा मुक्त अधिकारियों को राज्य सेवाओं में उनके लिए आरक्षित कोटे के विरुद्ध नियुक्त करने पर वरिष्ठता एवं वेतन निर्धारण के लिए उस तारीख से लाभ दिया गया है जिस तारीख से वे यदि सेवा में नहीं लिए गए होते, तो पहले अवसर पर राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए आवेदन करते । ऐसे व्यक्तियों के पदोन्नति अथवा प्रवर श्रेणी के लिए सेवा संबंधी शर्त पूरी करने के संबंध में उनकी सेवा की गिनती उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से उन्हें राज्य सेवा में शासन के उपर्युक्त आदेश के अनुसार वरिष्ठता एवं वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया है ।

4/ चूंकि भरती नियमों में अभी उपर्युक्त दोनों प्रकार के मामलों के संबंध में कोई उपबंध नहीं है इस लिए आदर्श भरती नियम में निम्न लिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिसके अनुसार सभी संबंधित विभाग अपने अपने भरती नियमों में संशोधन करेंगे :-

नियम 14(1) के नीचे लिखित परंतुक जोड़े जाए :-

" परन्तु आपाती कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन के सेवा मुक्त अधिकारियों को सेवा में नियुक्ति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987/1(3)67 के अनुसार जिस तारीख से सेवा में नियुक्ति माना गया है उसी तारीख से उनकी सेवा की गणना की जाएगी :

क्रमशः - 3

" परन्तु और कि इस नियम के अंतर्गत किसी कनिष्ठ व्यक्ति को प्रवर श्रेणी / पदोन्नति के लिए केवल उनके द्वारा निर्धारित सेवा के अवधि पूरी करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जायगा ।"

5/ चूंकि भरती नियम में संशोधन का मामला कार्य निष्पादावली के भाग 2 में उल्लिखित मंत्रि-परिषद के समक्ष रखे जाने वाले मामलों की सूची के पंद्रहवें क्रमांक के अनुसार मंत्रि- परिषद का मामला बनता है, अतः यह प्रस्ताव मंत्रि- परिषद के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाता है जिससे सभी विभागों के भरती नियमों में एकरूपता आ सके और प्रत्येक विभाग मंत्रि- परिषद आदेश प्राप्त करने की औपचारिकता पूरी किये बगैर अपने भरती नियमों को उपर्युक्त प्रकार संशोधित कर सके । मंत्रि-परिषद आदेश का प्रारूप अनुमोदनार्थ नीचे प्रस्तुत है ।

(शशांक मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रि-परिषद आदेश का प्रारूप

" निर्णय लिया गया है कि सभी विभागों के भरती नियम में संक्षेपिका के पैरा 4 में सुझाये अनुसार संशोधन किए जाए ।"

संक्षेपिका घुमाई जाती है :-

(1) मुख्य मंत्री / समस्त मंत्री/ समस्त राज्य मंत्री
(2) राज्यपाल के सचिव को राज्यपाल के सूचनार्थ
(3) मुख्य सचिव.